Journal of Acharaya Narendra Dev Research Institute । ISSN : 0976-3287 । Vol-32 (Jul 2022 - Dec 2022)

उत्तराखंड के कुमाऊँ मंडल में बाल मानवाधिकार : एक मूल्यांकन

श्रीमती संतोष पंसारी *

सारांश

बच्चों के अधिकार संबंधी जेनेवा घोषणा (1924) स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करती है कि बच्चे अपनी शारीरिक व मानसिक अपरिपक्वता के कारण जन्म लेने से पूर्व व बाद में विशेष संरक्षण व देखभाल के पात्र हैं। विगत कुछ वर्षों में उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु निर्मित योजनाओं, कार्यक्रमों व नीतियों के परिणामस्वरूप बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य स्थितियों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। किन्तु जनगणना 2011 के आंकड़ों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिसके अनुसार राज्य में अभी भी 5–14 आयु वर्ग के कुल 82431 बाल श्रमिक हैं, जिसमें से कुल 43395 बच्चे अकेले कुमाऊँ मंडल में कार्यरत् हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बच्चों के विरूद्ध होने वाले आपराधिक घटनाओं में प्रतिवर्ष तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। बच्चों का गायब होना चिंता का विषय बना हुआ है। प्रमुख बाल स्वास्थ्य निर्देशकों पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट संतोषजनक तस्वीर पेश नहीं करती। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की व्यापकता शिक्षा व स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से बाल मानवाधिकार उल्लंघन का विषय है। प्राथमिक शिक्षा में शत प्रतिशत नामांकन जहां राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है वहीं दूसरी ओर स्कूलों से बाहर बच्चे, ड्रॉप आउट प्रतिशत, सरकारी स्कूलों में गिरती छात्र संख्या तथा स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव अभी भी नीति निर्माताओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं। प्रस्तुत शोध पत्र इसी आलोक में उत्तराखण्ड राज्य के कुमाऊँ मंडल में बाल अधिकारों की स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय में वर्णित घोषणाओं व सिद्धांतों के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समग्र व समन्वित प्रयासों की अपरिहार्य आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुख्य शब्द : अधिकार, बाल अपराध, शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

प्रस्तावना

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0–6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 14,55,814, 0–14 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 31,29,008 तथा 0–18 आयु वर्ग समूह की कुल जनसंख्या 40,54,494 लाख है जोकि राज्य की कुल जनसंख्या का क्रमशः 13.4 प्रतिशत, 31.0 प्रतिशत तथा 40.2 प्रतिशत है। 0.6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात 890 है।[1]

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य में 'राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग' की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 13(जे) बाल अधिकारों का उल्लंघन होने पर आयोग को स्वयं जांच करने का अधिकार प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त आयोग को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम–2009 के अनुपालन, यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम–2012 के क्रियान्वयन तथा किशोर न्याय अधिनियम–2000 को लागू करवाने के लिए बनी समेकित बाल संरक्षण योजना की मॉनिटरिंग का अधिकार भी दिया गया है।[2]

राज्य में महिलाओं व बच्चों के कल्याण व विकास के लिए महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग की स्थापना की गई है। प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 105 बाल विकास परियोजनाओं में से 08 शहरी क्षेत्रों में व 97 ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है। परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 19614 आंगनबाडी/मिनी आंगनबाडी में से 1172 शहरी क्षेत्रों में व 18442 ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं।[3]

बच्चों में कुपोषण के दृष्टिगत् आंगनबाडी केंद्रों पर 6 वर्ष तक के बच्चों को टेकहोम राशन व कुक्ड फूड योजना के माध्यम से पोषक आहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, नियमित टीकाकरण सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। गोद भराई, अन्न प्राशन व ऊर्जा योजना के साथ–साथ राज्य के चार जनपदों हरिद्वार, उत्तरकाशी, चमोली व ऊधमसिंह नगर में राष्ट्रीय पोषण योजना संचालित की जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय खाद्यान्नों पर आधारित ऊर्जा पोषाहार कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों में वितरित किया जा रहा है।[4]

इसके अतिरिक्त बाल लिंगाानुपात में सुधार करने के उद्देश्य से नंदा गौरा योजना व केन्द्र प्रायोजित बेटी बचाओ बेटी पढाओ जैसी महत्वकांक्षी व बहुउद्देशीय योजनाएं राज्य में संचालित हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, एम0बी0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड

लिंगानुपात संबंधित सही आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गुडडा–गुडडी बोर्ड लगाए गए हैं। वहीं रैलियों, नुक्कड–नाटकों के माध्यम से जनता के बड़े वर्ग को जागरूक कर समस्या की संवेदनशीलता के प्रति अवगत कराया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में जन्म के समय लिंग अनुपात में लगातार सुधार हो रहा है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य व पोषण की दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप बाल स्वास्थ्य से जुड़े मुख्य निर्देशकों में सुधार हुआ है।

शिक्षा के क्षेत्र में सर्वशिक्षा अभियान, देवभूमि मुस्कान योजना, स्कूल चलो अभियान, मिड–डे–मील, नींव, कुंजापुरी, पहल, सपनों की उड़ान जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से शिक्षा के मूलभूत अधिकार तक प्रत्येक बालक की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत् है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज्य में 1 अप्रैल 2011 से ही लागू है। अधिनियम के तहत् प्रवेश पाने वाले बच्चों की संख्या में पिछले कुछ वर्षों में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2011–2012 में इस प्रावधान के तहत् कुल 15104 बच्चों को प्रवेशित किया गया। वहीं वर्ष 2013–2014 में वंचित वर्गों के 20491 बच्चों को शिक्षा का मूलभूत अधिकार प्राप्त हुआ। 2015–2016 में यह संख्या बढ़कर 83,000 तथा 2016–2017 में 1.7 लाख हो गई है।[5]

उत्तराखण्ड राज्य सरकार बाल अधिकारों के व्यापक परिप्रेक्ष्य को गंभीरता से लेते हुए बच्चों के मूलभूत सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकारों को अपनी विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतिगत निर्णय, विधानों, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, समाज कल्याण विभागों व स्वैच्छिक एजेंसियों के पारस्परिक समन्वय द्वारा प्रतिरक्षित करने को प्रतिबद्ध व संवेदनशील है। किंतु राज्य की बाल आबादी का बड़ा प्रतिशत कठिन परिस्थितियों में जीने को विवश है। बाल श्रम, बाल विवाह, अशिक्षा, कुपोषण, बाल अपराध, प्रतिकूल बाल लिंग अनुपात प्रमुख चुनौतियों के रूप में विद्यमान हैं।

बालश्रम

वर्ष 2011 जनगणना के राज्य में 5–14 आयुवर्ग के बच्चों की कुल जनसंख्या 22.04 लाख है जिसमें से 11.63 लाख बालक तथा 10.40 लाख बालिकाएं हैं। 5–14 आयु की कुल जनसंख्या का 3.7 प्रतिशत अर्थात् 82431 बाल श्रमिक हैं। बाल श्रमिकों का 52.7 प्रतिशत बालक तथा 47.1 प्रतिशत बालिकाएँ हैं। कुल बाल–श्रमिकों का 52.6 प्रतिशत (43395) कुमाऊँ मंडल तथा शेष गढवाल मंडल में कार्यरत् हैं। बाल श्रमिकों का 34.0 प्रतिशत (28098) मुख्य तथा 65.9 प्रतिशत (54333) सीमांत श्रमिकों के रूप में विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है। देशभर में 5–14 आयु वर्ग के कुल 10,128,663 बाल–श्रमिकों का 0.81 प्रतिशत उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत् है।[6]

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 2009–2010 सर्वेक्षण के अनुसार बाल–श्रमिकों की दृष्टि से सभी राज्यों में उत्तराखण्ड राज्य प्रथम स्थान पर है। भारत में कार्यरत् कुल बाल श्रमिकों का 35.62 प्रतिशत अकेले राज्य में है।[7]

कुमाऊँ मंडल में वर्ष 2001 में 5–14 आयु वर्ग के कुल 35190 बच्चे कार्यरत् थे जिनकी संख्या 2011 में बढ़कर 43895 हो गई है। जनगणना 2011 के आंकड़ों में सर्वाधिक बाल श्रमिक ऊधमसिंह नगर (14808), अल्मोड़ा (11796) तथा नैनीताल (9796) जिलों में पाए गए। पिथौरागढ, बागेश्वर व चंपावत में क्रमशः 3738, 2313 तथा 1471 बाल श्रमिक कार्यरत् हैं। बाल–श्रमिकों का संकेंद्रण ग्रामीण इलाकों में अधिक है। 5–14 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक 9.5 प्रतिशत अल्मोड़ा में, 6.7 प्रतिशत नैनीताल जिले में, 4.4 प्रतिशत ऊधम सिंह नगर में तथा बागेश्वर, पिथौरागढ व चंपावत में क्रमशः 4.2, 4.1 तथा 2.6 प्रतिशत बच्चे कृषि व सहायक क्रियाओं में ग्रामीण इलाकों में कार्यरत् हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत् कुल बाल श्रमिकों (68343) का 56 प्रतिशत (38461) कुमाऊँ के जिलों में है जबकि शहरी क्षेत्रों में कुमाऊँ मंडल में कुल 38 प्रतिशत बच्चे (5434) किसी ना किसी आर्थिक गतिविधियों में नियोजित हैं। ऊधम सिंह नगर व नैनीताल के शहरी इलाकों में सर्वाधिक 3673 व 1385 बाल श्रमिक हैं।[8]

बाल अपराध

सुरक्षा का बाल मानवाधिकार के तहत् बच्चों को प्रत्येक प्रकार के शोषण, उत्पीडन, उपेक्षा से संरक्षण का अधिकार प्रदान किया है। परंतु राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बच्चों के विरूद्ध होने वाली आपराधिक घटनाओं में प्रतिवर्ष तीव्रगति से वृद्धि हो रही है। वर्ष 2013 में बच्चों के विरूद्ध होने वाले अपराधों की संख्या 232 थी जोकि वर्ष 2017 में बढ़कर 829 हो गई। बच्चों का गायब होना चिंता का विषय बना हुआ है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 से ही लापता बच्चों के बचाव व पुर्नावास हेतु केंद्र सरकार द्वारा संचालित ऑपरेशन स्माइल चलाए जाने के बावजूद वर्ष 2016 में राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के कुल 859 बच्चे राज्य में गायब हुए (432 लडकियां तथा 427 लडके) जिसमें से 589 बच्चों (312 लडकियां, 277 लडके) को तो ढूंढ लिया गया किंतु 270 बच्चों (120 लडकियां तथा 150 लडकों) का कुछ पता नहीं चला।[9]

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्ष 2016–2017 की रिपोर्ट के अनुसार पोक्सो के तहत् गढवाल तथा कुमाऊँ मंडल में वर्ष 2014 में क्रमशः 181 तथा 96 केस दर्ज हुए जबकि वर्ष 2016 में यह आंकडा बढ़कर 184 तथा 150 तक पहुंच गया।[10]

उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष वर्ष 2000 से 30 जून 2014 तक के गुमशुदा बच्चों के आंकडों के अनुसार राज्य में कुल 5454 बच्चे गायब हुए जिसमें से 4679 बच्चों को तो ढूंढ लिया गया किंतु 775 बच्चों का कुछ पता नहीं चला। रिपोर्ट के अनुसार कुमाऊं मंडल में कुल 2446 बच्चे गायब हुए जिसमें से 2081 बच्चों को तो ढूंढ लिया गया किंतु 365 बच्चों का कुछ पता नहीं चला। ऊधमसिंह नगर में सर्वाधिक 1007 बच्चे गायब हुए जिसमें से मात्र 732 का ही पता चल पाया। तथा नैनीताल जिले में 777 बच्चे, अल्मोड़ा में 217, पिथौरागढ़ में 197, चंपावत में 140 तथा बागेश्वर से 108 बच्चे गायब हुए जिसमें से क्रमशः 708, 214, 194, 140 तथा 100 बच्चों को तो ढूंढ लिया गया।[11]

अशिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन अनुपात में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई है किंतु उच्च प्राथमिक स्तर पर स्थिति उत्साहवर्द्धक नहीं है। जैसे–जैसे शिक्षा के उच्चतर स्तर की ओर बढ़ते हैं वैसे–वैसे स्कूल जाने वाले बच्चों का बड़ा अनुपात शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाता है।

वर्ष 2017 में स्कूल से बाहर बच्चों (ओओएस) पर एकत्रित आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में प्राथमिक स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का 5.25 प्रतिशत स्कूल से बाहर है। 6–17 साल के आयु वर्ग के स्कूली बच्चों में से 17.20 प्रतिशत ने वास्तव में कभी दाखिला नहीं लिया। बालिकाओं की तुलना में (13.67) यह संख्या बालकों के लिए (20.44) कहीं अधिक हैं। ओओएस बच्चों के तीन चौथाई (79.11) बच्चों ने नामांकन के पश्चात् स्कूल छोड़ दिया। लड़कों की तुलना (78.31) में लड़कियों के लिए यह अनुपात (79.98) थोड़ा अधिक है। राज्य में स्कूल में नामांकित होने के पश्चात् स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों का अनुपात 1.41 प्रतिशत है।[12]

यदि जिलों की बात करें तो अल्मोड़ा में सर्वाधिक 37.77 बच्चों का कभी स्कूल में नामांकन नहीं हुआ। पिथौरागढ़ व ऊधमसिंह नगर में ऐसे बच्चों का अनुपात क्रमशः 17.58 व 15.38 है। बागेश्वर व चंपावत में क्रमशः 2.30 व 7.14 बच्चे ऐसे हैं जिनका कभी स्कूल में नामांकन नहीं हुआ। पिथौरागढ़ में 82.42, चंपावत में 82.13, ऊधम सिंह नगर में 82.10, नैनीताल में 79.52, बागेश्वर में 79.08 तथा अल्मोड़ा में 62.23 प्रतिशत बच्चों ने नामांकन के पश्चात् स्कूल छोड़ दिया। जबकि बागेश्वर में 18.62 प्रतिशत ऐसे बच्चे हैं जो नामांकित तो हैं पर स्कूल में उपस्थित नहीं हैं।[13]

शिक्षा विभाग के नामांकन संबंधित आंकड़े भी यही दर्शाते हैं कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों ही स्तरों पर लैंगिक समानता सूचकांक में वर्ष 2013–2014 की तुलना में वर्ष 2016–2017 में कमी आई है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन में लड़कियों का नामांकन प्रतिशत वर्ष 2013–2014 में क्रमशः 47.30 तथा 48.05 था जो वर्ष 2016–2017 में कम होकर क्रमशः 47.03 तथा 47.67 हो गया।[14]

आरटीई एक्ट् लागू होने के इतने वर्षों बाद भी अधिनियम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया है। सरकारी स्कूलों में गिरती छात्र संख्या, निजी स्कूलों के प्रति बढ़ता आकर्षण, प्रतिकूल शिक्षक छात्र अनुपात, स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न प्रति धारण दर व उच्च ड्राप आउट प्रतिशत, स्कूल से बाहर रह गए बच्चे, आरटीई एक्ट् की धारा 12 (ग) का अप्रभावी क्रियान्वयन राज्य में प्राथमिक व अनिवार्य शिक्षा के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं।

स्वास्थ्य व पोषण

सरकार द्वारा स्वास्थ्य व पोषण की दिशा में किए गए प्रयासों के बावजूद बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य संबंधित तीन मुख्य संकेतकों पर राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–4 (एनएफएचएस–4,2015–2016) की रिपोर्ट दर्शाती है कि राज्य में अभी भी 5 वर्ष से कम आयु के 19.5 प्रतिशत बच्चों का वजन उनके कद के अनुपात में कम है, 26.6 प्रतिशत बच्चों का वजन उनकी आयु की तुलना में कम तथा 33.5 प्रतिशत बच्चों का कद उनकी आयु के अनुपात में कम है। राज्य में शिशु मृत्यु दर 40, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 47 है। 12–23 माह के कुल 57.7 प्रतिशत बच्चों ही बुनियादी टीकाकरण से लाभान्वित हुए तथा 31.5 प्रतिशत बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनका जन्म घर पर ही हुआ है। 6–59 माह के 55 प्रतिशत बच्चे रक्त अल्पतता के शिकार हैं।[15]

जिलेवार स्वास्थ्य स्थिति (एनएफएचएस–4)[16]

जिला	संस्थागतप्रसव	आयु के सापेक्ष कम ऊँचाई के बच्चों का प्रतिशत (5 वर्ष से कम आयु)	ऊँचाई के सापेक्ष कमभार के बच्चे (5 वर्ष से कम आयु)	ऊँचाई के सापेक्ष अत्यधिक कम भार के बच्चे (5 वर्ष से कम आयु)	अल्पभार बच्चे (5 वर्ष से कम आयु)	12–23 माह के पूर्ण टीकाकरण प्राप्त बच्चों का प्रतिशत	6–59 माह के रक्तअल्पता से पीडित बच्चों का प्रतिशत
अल्मोडा	66.3	32.9	14.4	7.7	22.5	60.6	39.7
बागेश्वर	55.9	25.1	26.3	13.5	27.2	60.2	39.8
चंपावत	73.3	30.5	17.4	6.1	21.2	68.4	40.1
नैनीताल	64.7	32.1	9	3.7	17	59	54.0
पिथौरागढ	73	30.6	20.6	9.2	16.6	74ण्2	31.8
ऊधम सिंह नगर	67.5	37.8	12	3.5	27.1	47.4	64.6
उत्तराखंड	68.6	33.5	19.5	9	26.6	57.7	54.9

कुमाऊँ मंडल के जिलों में बाल स्वास्थ्य व पोषण संकेतकों में विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। बागेश्वर जिले में पांच वर्ष से कम आयु के 25.1 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऊँचाई उनकी आयु के सापेक्ष कम है जो कि राज्य औसत की तुलना में काफी कम है। वहीं दूसरी ओर ऊधमसिंह नगर में ऐसे बच्चों का अनुपात 37.8 प्रतिशत है जो राज्य औसत से भी अधिक है। नैनीताल जिले में 9 प्रतिशत बच्चों के शरीर का भार उनकी ऊँचाई के सापेक्ष कम है तो बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ जिले में यह अनुपात क्रमशः 26.3 प्रतिशत तथा 20.6 प्रतिशत है जोकि राज्य औसत से भी अधिक है। 12–23 माह के 47.4 प्रतिशत बच्चे ही ऊधमसिंह नगर जिले में बुनियादी टीकाकरण से लाभान्वित हुए जबकि पिथौरागढ़ जिले में ऐसे बच्चों का प्रतिशत सर्वाधिक है।[17]

बालविवाह

राज्य में बाल विवाह की व्यापकता विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, बालिकाओं के शिक्षा तथा स्वास्थ्य दोनों ही दृष्टि से मानव अधिकारों का उल्लंघन के विषय हैं। ऐनुअल हेल्थ सर्वे (एएचएस) रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 5.5 प्रतिशत लड़कों का विवाह 21 वर्ष की निर्धारित आयु से पहले तथा 1.8 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो गया। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की उच्च व्यापकता पायी गयी। पिथौरागढ़ जिले में सर्वाधिक 5.3 प्रतिशत, बागेश्वर में 3.7 प्रतिशत, चंपावत में 3.5 प्रतिशत लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले ही हो गया। अल्मोड़ा, नैनीताल तथा ऊधमसिंह नगर में यह अनुपात क्रमशः 1.5 प्रतिशत, 0.7 प्रतिशत तथा 1.9 प्रतिशत है।[18]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण–4 (एनएफएचएस–4) के अनुसार राज्य में ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों में बाल विवाह की व्यापकता (69.9 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों (30.1 प्रतिशत) की तुलना में काफी अधिक है। यद्यपि सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में राज्य में बाल विवाह की संख्या में कमी आई है। 2005–2006 में राज्य में बाल विवाह की दर 7.9 प्रतिशत से कम होकर 2015–2016 में 2.9 प्रतिशत हो गई है तथापि रिपोर्ट दर्शाती है कि कुमाऊँ मंडल के पिथौरागढ़, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर तथा चंपावत जिलों में बाल विवाह की व्यापकता सर्वाधिक है जहां क्रमशः 26.6 प्रतिशत, 20.1 प्रतिशत, 19.6 प्रतिशत तथा 17.7 प्रतिशत बालिकाओं का विवाह विधि द्वारा निर्धारित 18 वर्ष से कम की आयु में ही हो गया। नैनीताल तथा अल्मोड़ा जिलों में यह अनुपात क्रमशः 15.3 प्रतिशत तथा 9.1 प्रतिशत दर्शाया गया है।[19]

बाल विवाह के परिणामस्वरूप न सिर्फ अशिक्षा होती है अपितु कम आयु में मां बनने से बालिकाओं के स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में बढती बाल विवाह की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

बाल लिंग अनुपात

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0.6 आयु वर्ग का लिंग अनुपात (सीएसआर) राष्ट्रीय औसत से कम है। 2001 में यह अनुपात 908 था जोकि वर्ष 2011 में 22 पॉइंट कम होकर 886 हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर अधिक पाया गया है। कुमाऊँ मंडल के किसी भी जिले में स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। प्रतिकूल लिंग अनुपात की दृष्टि से पिथौरागढ़ प्रथम स्थान पर है जहाँ यह अनुपात वर्ष 2001 में 902 से 94 कम होकर 812 हो गया है। चंपावत में 64 अंकों की, बागेश्वर 30 अंकों की गिरावट के साथ तृतीय स्थान पर है। नैनीताल में 19 अंकों की, ऊधमसिंह नगर में 17 तथा अल्मोड़ा में 11 अंकों की गिरावट हुई है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रतिकूल सीएसआर की दृष्टि से राज्य का देश में सातवाँ स्थान है।[20]

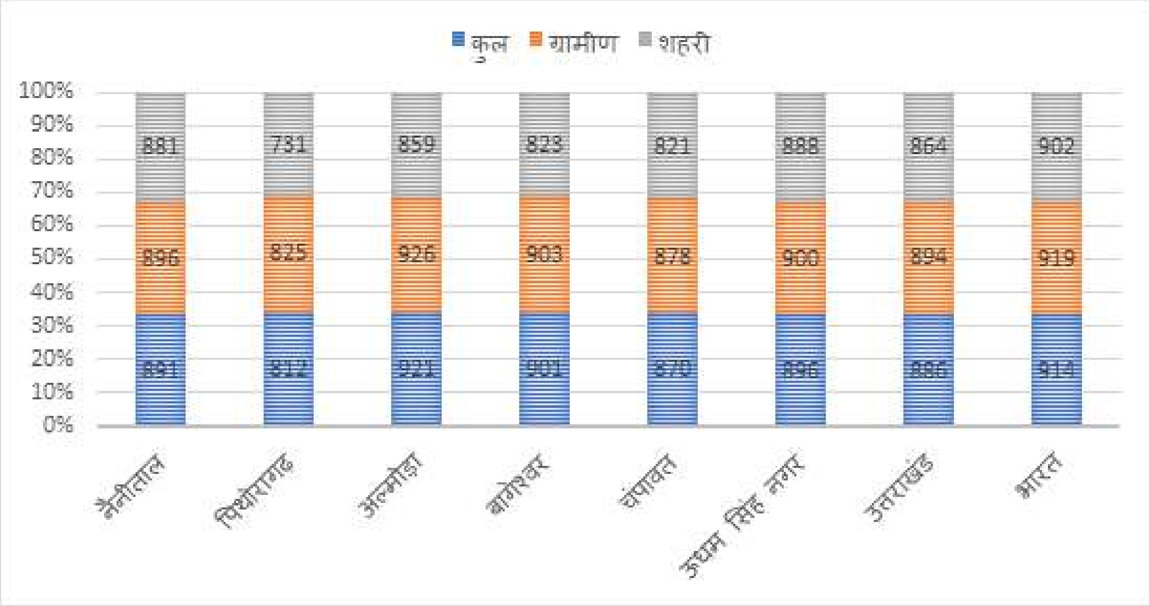

नीति आयोग की **'स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत'** रिपोर्ट के अनुसार राज्य में आधार वर्ष 2012.14 (871) से संदर्भ वर्ष 2013.15 (844) के बीच उत्तराखंड में 27 पॉइंटस की गिरावट दर्ज की गई है।[21]

जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) की दृष्टि से स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 2017—2018 में जन्म के समय लिंगानुपात 922 से बढकर वर्ष 2018—2019 में यह 938 और वर्ष 2018—2019 में 949 पहुंच गया। वर्तमान में राज्य के पांच जिले बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, देहरादून व उत्तरकाशी देश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में शामिल हैं। हालांकि तालिका दर्शाती है कि राज्य के तीन जिलों चमोली, पिथौरागढ़ तथा नैनीताल में एसआरबी में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट चिंता का विषय है। तीनों ही जिलों में पिछले वर्ष की तुलना में लिंगानुपात में कमी आई है। पिथौरागढ़ जिले में एसआरबी वर्ष 2018—2019 में 904 से कम होकर 887 तथा नैनीताल जिले में 941 से कम होकर 905 हो गया है।[22]

निष्कर्ष एवं सुझाव

निःसंदेह अपनी स्थापना के अल्प समय में ही राज्य सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण व विकास को शीर्ष प्राथमिकताओं में सम्मिलत किया गया है किंतु यह भी सत्य है कि बच्चों के कल्याण हेतु निर्मित सभी योजनाओं, नियमों, अधिनियमों व नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मजबूत तंत्र के साथ—साथ दृढ़ इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता है। संसद द्वारा पारित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व राज्य स्तरीय नंदा गौरा योजना के बावजूद गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण के पश्चात उसे जन्म लेने के अधिकार से वंचित करने की प्रवृत्ति व्यापक रूप से देखने को मिलती है। अतः एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइटस व नीति आयोग की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते

हुए इस कुकृत्य में सम्मिलित डाक्टरों, अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों व अभिभावकों के विरूद्ध ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता है। बाल श्रम पर सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय एम.सी.मेहता बनाम तमिलनाडु वाद के दृष्टिगत् जोखिमपूर्ण व गैर जोखिमपूर्ण कार्य में संलग्न बाल श्रमिकों के नियमित सर्वेक्षण से लेकर बच्चों की शिक्षा, उनके समुचित पुर्नावास, गैर जोखिम भरे कार्यों में कार्यरत् बच्चों के काम के घंटों के नियमन तथा नियोक्ताओं तथा राज्य की जिम्मेदारी तय की जाए। मिशन इंद्र धनुष योजना तथा सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के माध्यम से टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने से बचपन की रूग्णता और मृत्यु दर में काफी कमी की जाए। अति कुपोषित बच्चों की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कर राज्य सरकार संचालित कुक्ड फूड, टेकहोम राशन, ऊर्जा पोषाहार योजनाओं से लाभान्वित किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में वर्णित मानदंडों के अनुरूप स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं, उपयुक्त छात्र–शिक्षक अनुपात, 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत अधिकतम प्रवेश करवाने, सरकारी स्कूलों में विभिन्न नामांकन अभियानों के माध्यम से प्रवेश को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्यवाही व दिशा–निर्देश दिए जाएं। धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा समान रूप से मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पात्र है। अपनी विशाल बाल आबादी को संरक्षणकारी व शोषणमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना प्रत्येक राज्य, सरकार, नागरिक समाज का सामाजिक व नैतिक उत्तरदायित्व है और जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने इस उत्तरदायित्व को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करने को प्रतिबद्ध नहीं होगा तब तक संयुक्त अधिकार बाल अधिकार अभिसमय में उल्लेखित सिद्धांतों के अनुरूप समान, गरिमामय व पारिवारिक वातावरण में बच्चों का लालन–पालन संभव न होगा।

संदर्भ सूची

1. Censusindia.gov.in. (2011). Census of India: Primary Census Abstract. Available at: http://censusindia.gov.in/pca/pca.aspx
2. वार्षिक रिपोर्ट, 2013–2014, राज बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखंड
3. आर्थिक सर्वेक्षण, 2017–2018, अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखंड सरकार, पृष्ठ –7
4. wecd.uk.gov.in
5. nihisharma, Hindustan Times, Dehradun, Sep13,2018
6. जनगणना, 2011
7. http://labour.gov.in/upload/uploadfiles/files/Divisions/childlabour/ SSO Estimate of Child Labour in Major Indian States. pdf
8. Samantroy, Ellina., & Sekar, Helen R., & Pradhan, Sanjib. State of child workers in India, Mapping Trends V.V.Giri National Labour Institute, Page No-106
9. Ncrb.gov.in. (2016). National Crime Records Bureau. [online] Available at:http:// ncrb.gov.in/
10. https://hindi-news18-com19-sep-2018
11. वार्षिक रिपोर्ट, 2013–2014, राज बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उत्तराखंड, पृष्ठ–35–36
12. Human Development Report of the State of Uttarakhand Directorate of Economics & Statistics Department of Planning Government of Uttarakhand, Institute for Human Development (IHD), Page no 169
13. Human Development Report of the State of Uttarakhand Directorate of Economics & Statistics Department of Planning Government of Uttarakhand, Institute for Human Development (IHD), Page no. -171
14. https://ssa.uk.gov.in/files/Educational_Indicators_2.pdf
15. Verma, Charan Singh & Tiwari, Shivakar. Development of composite indicators to measure backwardness of districts in uttrakhand, Giri institute of development studies, december 2017,page no. 44

16. एनएफएचएस–4
17. Verma, Charan Singh & Tiwari, Shivakar. Development of composite indicators to measure backwardness of districts in uttrakhand, Giri institute of development studies, december 2017, page no. 44
18. Annual Health Survey, 2012-2013 Factsheet, Uttrakhand Vital Statistics Division Office of the Registrar General & Census Commissioner, India New Delhi PAGE NO.-9 Website : www.censusindia.gov.in
19. https://rchiips.org/NFHS/NFHS4Reports/Uttrakhand.pdf
20. http://www.ukhfws.org/details.php?pgID=sb_55
21. social.niti.gov.in>sample>healthy StatesProgressive India report
22. अमर उजाला, 29 जुलाई 2019